(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 8/2021-एकीकृतकर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर, 2021

सा.का.नि. ..... (अ)- एकीकृतमाल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13), की धारा 5 की उप धारा (1) और केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), धारा 15 की उप धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017-एकीकृतकर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 666 (अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में

क. अनुसूची I में - 5%,-

(i) क्रमांक 71 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियां अंत: स्थापित की जाएंगी, यथा: -

“71क	1209	इमली के बीज बुवाई के अलावा किसी अन्य उपयोग के लिए ”;

(ii) क्रमांक 138 से 148 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को हटा दिया जाएगा;

(iii) क्रम संख्या 186 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, यथा: -

“186क	3826	हाई-स्पीड डीजल के साथ सम्मिश्रण के लिए तेल विपणन कंपनियों को आपूर्ति किए गए बायो-डीजल";

(iv) क्रमांक 187 क और उससे संबंधित प्रविष्टियों को हटा दिया जाएगा;

(v) क्रम संख्या 234 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को हटा दिया जाएगा;

(vi) सूची 1 में, मद संख्या 231 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

"(232) पेम्ब्रोलिज़ुमाब (कीट्रूडा)";

(vii) सूची 3 में, मद संख्या (ख) (2) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

"(3) दिव्यांगो द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों के लिए रेट्रो फिटमेंट किट";

ख. अनुसूची II में - 12%, -

(i) क्रम संख्या 80क के सामने, कॉलम (3) में, प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

"बायो-डीजल (हाई-स्पीड डीजल के साथ सम्मिश्रण के लिए तेल विपणन कंपनियों को आपूर्ति किए गए बायो-डीजल के अलावा)";

(ii) क्रमांक 122 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को हटा दिया जाएगा;

(iii) क्रमांक 127 से 132 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को हटा दिया जाएगा;

(iv) क्रमांक 201 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्त: स्थापित किया जाएगा; यथा: -

“201क	84, 85 या 94	निम्नलिखित अक्षय ऊर्जा उपकरणों और उनके उत्पादन के पुर्जे लिए भागों का अनुसरणउत्पादन: - (क) जैव गैस संयंत्र; (ख) सौर ऊर्जा आधारित उपकरण; (ग) सौर ऊर्जा जनरेटर; (घ) पवन मिलें, पवन संचालित बिजली जेनरेटर (डब्ल्यूओईजी); (ङ) ऊर्जा संयंत्रों / उपकरणों के लिए अपशिष्ट; (च) सौर लालटेन / सौर लैंप;

		(छ) महासागरीय तरंगें/ज्वारीय तरंगें ऊर्जा उपकरण/प्लांट; (ज) फोटो वोल्टाइक सेल, मॉड्यूल में असेंबल किया गया है या नहींया पैनलों में बना है । स्पष्टीकरण: - यदि इस प्रविष्टि में निर्दिष्ट सामान आपूर्ति किया जाता है, एक आपूर्तिकर्ता द्वारा, अन्य सामानों की आपूर्ति के साथऔर सेवाएं, जिनमें से एक विनिर्दिष्ट कर योग्य सेवा है में उल्लिखित तालिका के क्रमांक 38 की प्रविष्टि मेंअधिसूचना संख्या 8/2017- एकीकृतकर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 [जी.एस.आर. 683(अ)], के लिए माल की आपूर्ति का मूल्य इस प्रविष्टि के उद्देश्यों को ऐसी सभी आपूर्तियों के लिए प्रभारित सकल प्रतिफल के सत्तर प्रतिशत के रूप में समझा जाएगाऔर सकल प्रतिफल का शेष तीस प्रतिशत प्रभारित उक्त कर योग्य सेवा के मूल्य के रूप में समझा जाएगा।";

(v) क्रमांक 205क से 205ज और उससे संबंधित प्रविष्टियों को हटा दिया जाएगा;

(vi) क्रमांक 232 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को हटा दिया जाएगा;

ग. अनुसूची III में - 18%, -

(i) क्रमांक 26ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अन्त: स्थापित की जाएंगी, यथा: -

"26ग	2601	लौह अयस्क और कंसन्ट्रेट्स पेस्टेड, भुना हुआ लौह पाइराइट सहित।
26घ	2602	मैंगनीज अयस्कों और कंसन्ट्रेट्स, फेरुजिनस मैंगनीज अयस्कों सहित और 20% या उससे अधिक की मैंगनीज सामग्री के साथ, सूखे वजन पर गणना की जाती है।
26ङ	2603	कॉपर अयस्क और कंसन्ट्रेट्स।

26च	2604	निकल अयस्क और कंसन्ट्रेट्स।
26छ	2605	कोबाल्ट अयस्क और कंसन्ट्रेट्स।
26ज	2606	एल्युमिनियम अयस्क और कंसन्ट्रेट्स।
26।झ	2607	सीसा अयस्क और कंसन्ट्रेट्स।
26ञ	2608	जिंक अयस्क और कंसन्ट्रेट्स।
26ट	2609	टिन अयस्क और कंसन्ट्रेट्स।
26ठ	2610	क्रोमियम अयस्क और कंसन्ट्रेट्स।";

(ii) क्रम संख्या 101 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अन्त: स्थापित की जाएंगी, यथा: -

"101क	3915	प्लास्टिक के अपशिष्ट, परिंग्स और स्क्रैप।";

(iii) क्रमांक 153ए और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

"153क	4819	कागज के कार्टन, बॉक्स, केस, बैग और अन्य पैकिंग कंटेनर, पेपरबोर्ड, सेल्युलोज वैडिंग या सेल्यूलोज फाइबर के वेब्स; कार्यालयों, दुकानों या इसी तरह के एक तरह के कागज या पेपरबोर्ड की बॉक्स फाइलें, लेटर ट्रे और इसी तरह की वस्तुएं।";

(iv) क्रम संख्या 157 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां को अन्त: स्थापित किया जाएगा, यथा: -

"157क	4906 00 00	वास्तुकला, इंजीनियरिंग, औद्योगिक, वाणिज्यिक, स्थलाकृतिक या इसी तरह के उद्देश्यों के लिए योजनाएं और चित्रकारी, मूल रूप से हाथ से तैयार किए गए हैं; हस्तलिखित ग्रंथ; संवेदनशील कागज पर फोटोग्राफिक प्रतिकृतियां और पूर्वगामी की कार्बन प्रतियां।
157ख	4907	अप्रयुक्त डाक, राजस्व या देश में मौजूदा या नए मुद्दे के

		समान टिकट जिसमें उनके पास एक मान्यता प्राप्त अंकित मूल्य है, या होगा; स्टाम्प-प्रभावित कागज; बैंकनोट; जाँच; स्टॉक, शेयर या बांड प्रमाण पत्र और शीर्षक के समान दस्तावेज (ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स के अलावा)।
157ग	4908	स्थानान्तरण (डिकैल्कोमेनिया)।
157घ	4909	मुद्रित या सचित्र पोस्टकार्ड; व्यक्तिगत अभिवादन, संदेश या घोषणाओं वाले मुद्रित कार्ड, चाहे लिफ़ाफ़े या ट्रिमिंग के साथ या बिना सचित्र हों।
157ङ	4910	कैलेंडर ब्लॉक सहित किसी भी प्रकार के कैलेंडर मुद्रित।
157च	4911	मुद्रित चित्रों और तस्वीरों सहित अन्य मुद्रित सामग्री; जैसे व्यापार विज्ञापन सामग्री, वाणिज्यिक कैटलॉग और जैसे, मुद्रित पोस्टर, वाणिज्यिक कैटलॉग, मुद्रित इनले कार्ड, चित्र, डिज़ाइनऔर फोटोग्राफ, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, औद्योगिक, वाणिज्यिक, स्थलाकृतिक या इसी तरह के उद्देश्यों के लिए योजना और चित्रकारी कंप्यूटर की सहायता से पुन: प्रस्तुत किए जाते हैं या कोई अन्य उपकरण।";

(v) क्रम संख्या 398 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियां को अन्त: स्थापित किया जाएगा, यथा: -

"398क	8601	बिजली के बाहरी स्रोत से या विद्युत संचायकों द्वारा संचालित रेल लोकोमोटिव।
398ख	8602	अन्य रेल इंजन; लोकोमोटिव निविदाएं; जैसे डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, स्टीम लोकोमोटिव और उसके टेंडर।
398ग	8603	स्व-चालित रेलवे या ट्रामवे कोच, वैन और ट्रक, शीर्ष 8604 के अलावा अन्य।
398घ	8604	रेलवे या ट्रामवे रखरखाव या सेवा वाहन, स्व-चालित या गैर-स्वचालित (उदाहरण के लिए, कार्यशालाएं, क्रेन, गिट्टी टैम्पर, ट्रैक

		लाइनर, परीक्षण कोच और ट्रैक निरीक्षण वाहन)।
398ङ	8605	रेलवे या ट्रामवे यात्री डिब्बे, स्व-चालित नहीं; लगेज वैन, पोस्ट ऑफिस कोच और अन्य विशेष प्रयोजन रेलवे या ट्रामवे कोच, स्व-चालित नहीं (शीर्षक 8604 को छोड़कर)।
398च	8606	रेलवे या ट्रामवे माल वैन और वैगन, स्व-चालित नहीं।
398छ	8607	रेलवे या ट्रामवे लोकोमोटिव या रोलिंग स्टॉक के हिस्से; जैसे बोगी, बिसेल-बोगी, एक्सल और पहिए, और उसके पुर्जे।
398ज	8608	रेलवे या ट्रामवे ट्रैक जुड़नार और फिटिंग; रेलवे, ट्रामवे, सड़कों, अंतर्देशीय जलमार्ग, पार्किंग सुविधाओं, बंदरगाह प्रतिष्ठानों या हवाई क्षेत्रों के लिए यांत्रिक (इलेक्ट्रो-मैकेनिकल सहित) सिग्नलिंग, सुरक्षा या यातायात नियंत्रण उपकरण; पूर्वगामी के हिस्से।";

(vi) क्रम संख्या 447 के सामने, कॉलम (3) में, प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "बॉल प्वाइंट पेन; फेल्ट टिप्ड और अन्य पोरस-टिप्ड पेन और मार्कर; फाउंटेन पेन, स्टाइलोग्राफ पेन और अन्य पेन; डुप्लिकेटिंग स्टाइलेस; पेन धारक, पेंसिल धारक और समान धारक; पूर्वगामी लेखों के भाग (कैप और क्लिप सहित), शीर्ष 9609 के अलावा अन्य", को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

घ. अनुसूची IV में - 28%, -

(i) क्रमांक 12क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियां को अन्त: स्थापित किया जाएगा, यथा: -

"12ख	2202	फल रस का कार्बोनेटेड बिवरेज या फल रसयुक्त कार्बोनेटेड बिवरेज|";

2. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 2021 को लागू होगी।

[फा. सं. 190354/206/2021-टी.आर.यू]

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017-एकीकृतकर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.नि. 666(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खंड(i), में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 01/2021-एकीकृतकर (दर), दिनांक 2 जून, 2021, जिसे सा.का.नि. 375(अ), दिनांक 2 जून, 2021, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खंड(i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।